वन चरागाह पद्धति

वन–चरागाह पद्धति वर्षा आश्रित क्षेत्र से वर्ष पर्यन्त हरा चारा उपलब्ध कराने के लिए एक स्थायी और सस्ता तरीका है। मूलतः वन चरागाह वानिकी की ही एक पद्धति है जिसमे बहुउद्देशीय पेडों को अनुपयुक्त बंजर भूमि या पशु चराई वाले क्षेत्र में कतारों में लगाते है और कतारों के बीच की खाली जमीन में उन्नत किस्म की घास व दलहन की बुवाई कर उन्नत चरागाह का विकास करते हैं। इस प्रकार से वन चरागाह पद्धति द्वारा बंजर और बेकार पड़ी हुई भूमि का उपयोग हो जाता है और पशुओं हेतु वर्ष पर्यन्त हरा चारा प्रदान करता है और साथ ही साथ पेड़ों से लकड़ी भी प्राप्त होती है जो किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान कर सकती है। इसके अलावा वन–चरागाह का पर्यावरण और कृषि पारिस्थितिकी संतुलन में भी काफी महत्पूर्ण योगदान है। वन–चरागाह मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाकर उसको उपजाऊ बनाते हैं साथ ही मृदा कटाव को रोकते हैं और मृदा में जल धारण एवं संरक्षण को भी बढ़ाते हैं। इस प्रकार से सालों से बंजर पड़ी भूमि वन–चरागाह स्थापित करने से उपजाऊ हो जाती है। वन–चरागाह से चारा उत्पादन भी ज्यादा प्राप्त होता है जो सामान्य चरागाह की तुलना में सात गुना तक हो सकता है।

क्रम संख्या	वन-चरागाह मॉडल	सूखा चारा उत्पादन (टन/हे.)	माहवार चारा उपलब्धता
1.	देशी बबूल (वृक्ष) + धवलू/गिनी/ अंजन (घास) + स्टायलो (दलहनी चारा)	5–10	घास और दलहनी चारा से जुलाई से दिसंबर तथा पेड़ों से नवंबर–दिसंबर तक
2.	शहतूत (वृक्ष) + धवलू/अंजन/ गिनी (घास) + स्टायलो/ अपराजिता (दलहनी चारा)	5–10	घास और दलहनी चारा से जुलाई से दिसंबर तथा पेड़ों से मार्च से जून और सितम्बर से नवंबर तक
3.	अंजन (वृक्ष) + धवलू/अंजन/ गिनी+ स्टाइलो	5–10	घास और दलहनी चारा से जुलाई से दिसंबर तथा पेड़ों से मार्च से जून तक
4.	पाकर (वृक्ष)) + धवलू/गिनी/ अंजन (घास) + स्टायलो/ अपराजिता (दलहनी चारा)	5–10	घास और दलहनी चारा से जुलाई से दिसंबर तथा पेड़ों से मार्च से जून तक

विभिन्न परिस्थितिओं हेतु संस्तुत वन-चरागाह मॉडलः

वन–चरागाह का विकास मुख्य रूप से शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु के उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ वर्षा 400–700 मिलीमीटर तक होती है और मिट्टी कम उपजाऊ होने के कारण सघन फसल और चारा उत्पादन के काम में नहीं लाई जा सकती। ऐसी परिस्थितियों के लिए संस्तुत वन–चरागाह मॉडल निम्न हैं:

वन-चरागाह की स्थापना

वन–चरागाह की स्थापना बंजर, विकृत भूमि, सामुदायिक भूमि इत्यादि पर किया जा सकता है। वन–चरागाह में मवेशी, जंगली जानवर नुकसान न कर सके एवं चरागाह अच्छे से स्थापित हो सके इस हेतु चयन किये गए क्षेत्र को सुरक्षित करना महत्वपूर्ण है। चरागाह को सुरक्षित करने हेतु कांटेदार चारा वृक्ष व झाड़ियां लगायी जानी चाहिए जो चारा भी प्रदान करे व चरागाह में लगायी गयी घास और दलहनी चारे के सही से पनपने को सुनिश्चित करे। चरागाह क्षेत्र को कांटेदार बाड़, पत्थरों की बाड़ व चारो ओर खाई खोद कर भी सुरक्षित किया जा सकता है। मानसून से पहले भूमि पर उग रही अवांछित झाड़ियों एवं वनस्पतियों को हटा देना चाहिए ताकि क्षेत्र साफ हो सके।

पेड़ एवं घास का रोपण

वन–चरागाह की स्थापना हेतु वर्षा शुरु होने से पहले पेड़ों को लगाने हेतु 45×45×45 सेमी. के गड्ढे लगभग 4×4 मीटर के अंतराल पर बनाने चाहिए। पेड़ों की दो लाइनों के बीच अंतःस्थान में घास की बुवाई 50–70 सेमी. लाइन से लाइन की दूरी और 30–45 सेमी. पौध से पौध की दूरी पर करें एवं घास की दो लाइनों के बीच दलहनी चारे की बुवाई करनी चाहिए। इस प्रकार से घास एवं दलहनी चारे का 3–4 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है।

पोषक तत्व प्रबंधन

वन–चरागाह में पोषक तत्व प्रबंधन हेतु प्रति पेड़ 10 किलोग्राम गोबर की खाद एवं 50:50:50 ग्राम नाइट्रोजनः फॉस्फोरसः पोटाश का प्रयोग करना चाहिए। घास में पोषक तत्त्व प्रबंधन हेतु 40:30:30 किलोग्राम नाइट्रोजनः फॉस्फोरसः पोटाश का प्रयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन का प्रयोग दो बराबर भागों में करना चाहिए।

जल प्रबंधन

हालाँकि वन–चरागाह वर्षाधारित होते हैं फिर भी पेड़ों और घास के रोपण के दौरान अगर हल्कीसिंचाई उपलब्ध हो तो कर देनी चाहिए जिससे की बीजों का पेड़ों की पौध का जमाव और घास का अंकुरण संतोषजनक हो जाये।

उत्पादन एवं लागत

वन चरागाह पद्धति की स्थापना में लगभग रू. 40000–50000 का खर्च आता है और इस पद्धति से 5–10 टन/हे. शुष्क पदार्थ का उत्पादन किया जा सकता है जोकि 2–4 वयस्क पशुओं को वर्ष पर्यन्त चारा उपलब्ध करा सकता है तथा अच्छी देखरेख करने पर 20–25 वर्ष तक चलता है जो बाद में विकृत एवं बंजर भूमि को उपजाऊ कर देता है साथ ही पर्यावरण सुधार भी करता है।

प्रकाशकः

डॉ. अमरेश चन्द्रा

निदेशक, भा.कृ.अनु.प.–भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान

ग्वालियर रोड, निकट पहूज बाँध, झाँसी–284003 (उत्तर प्रदेश)

0510-2730666
0510-2730833
director.igfri@icar.gov.in
https://igfri.icar.gov.in
@ icarigfri Jhansi
igfri.jhansi.56
IGFRI Youtube Channel
Kisan Call Centre 0510-2730241

मुद्रक : क्लासिक इण्टरप्राइजेज, झाँसी. 7007122381, 9415113108

आई.जी.एफ.आर.आई./एस.सी.एस.पी./2023/फोल्डर/21

अनुसूचित जाति उप परियोजनांतर्गत

वन चरागाह पद्धति

संकलनकर्ताः

गौरेन्द्र गुप्ता, पुरूषोत्तम शर्मा, साधना पाण्डेय, सुनील कुमार, अमित कुमार पाटील, बिश्व भास्कर चौधरी, दीपक उपाध्याय, बृजेश कुमार मेहता, राजेश कुमार सिंघल, महेश एच.एस., मनजंगौड़ा एस.एस., मुकेश चौधरी, अविनाश चंद्र, सचेन्द्र त्रिपाठी, प्रतीक श्रीवास्तव एवं रोहित वर्मा

भा.कृ.अनु.प.–भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान

(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद)

ग्वालियर रोड, झाँसी–284003 (उ.प्र.)